...यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :–152/2023
...MS NO:- 2023/272

दायर दिनांकः 03.07.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

बदामबाई पत्नी राधेश्याम जाति मीणा नि0 रामपुरिया तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया

बनाम

सुरजन आ0 केसरा जाति मीणा नि. बिशनपुरा तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 5)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बिशनपुरा तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 329 रकबा 3.8428 हैक्टयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 329 मे प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 है। प्रार्थीया अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य मौके पर भौतिक विभाजन हो रहा है। भौतिक विभाजन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त भूमि मे हिस्सा 1/3 की भूमि रोड के सहारे आई हुई है। यह कि प्रार्थीया अपने खातेदारी व आधिपत्य की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर वर्षो से गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 331 जो पाल्या से कल्याणी खेडा बालाजी जाने की आम सडक से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की हिस्से की भूमि मे होकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर पहुंचता है तथा उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। प्रार्थीया परिशिष्ट अ मे दर्शाये गए रास्ते अनुसार रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपने कृषि उपकरणों व जानवरों को लाने ले जाने के काम मे शांतिपूर्वक बदस्तुर करती चली आ रही है। दिनांक 05.6.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया के रास्ते की भूमि पर तारबंदी खेंच कर रास्ते को अवरूद्व कर दिया तथा कहां कि मै तुम्हे यहां से होकर नही निकलने दुंगा तुमसे हो सो कर लो। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीया द्वारा जिस खसरा नम्बर 329 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवॉ